



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13 ⁰⁷ / ₁₉	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री प्रेमराज देवगम, पिता- स्व0 चैतन देवगम, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना- 125, खाता नं0-155, प्लॉट नं0- 586, रकवा - 0.05 एकड़ भूमि क्रेता श्री अर्जुन बानरा, पिता-सुलबु बानरा, ग्राम- गालुबासा, थाना- मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की माँग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 448 दिनांक- 6.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री अर्जुन बानरा, पिता-सुलबु बानरा, ग्राम- गालुबासा, थाना- मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 5,55,000.00/- (पांच लाख पचपन हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री प्रेमराज देवगम, पिता- स्व0 चैतन देवगम, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल क्रेता श्री अर्जुन बानरा, पिता-सुलबु बानरा, ग्राम- गालुबासा, थाना- मुफ्फसिल के पास 5,55,000.00/- (पांच लाख पचपन हजार) रुपये में मौजा- तमाड़बाँध, थाना- 125, खाता नं0-155, प्लॉट नं0- 586, रकवा - 0.05 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	